



2026: AHC-LKO: 21708

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 482 सं0-2579/2026

अमित मिश्रा

.....आवेदक

बनाम

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण अधिकारी

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : आदित्य तिवारी, अनुराग त्रिपाठी,

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : अनुराग कुमार सिंह

न्यायालय सं0-14

माननीय न्यायामूर्ति श्री सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य तिवारी, विरोधी पक्षकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत याचिका आर0सी0 सं0 0062017A0014से उद्भूत, आपराधिक विविध मामला सं0 1139/2022 में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सी0बी0आई, लखनऊ द्वारा पारित एक आदेश दिनांकित 22.11.2025 की वैधता को चुनौती देते हुए धारा 482 सी0आर0पी0सी0/धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता2023 के अन्तर्गत योजित की गई है, जिसके द्वारा आवेदक को उससे सम्बन्धित मूल अपराधों सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (सी) व (डी) के साथ पठित 406, 409, 420, 471 भा0दं0वि0 और धारा 13(2) के साथ पठित धारा 120-बी के अन्तर्गत अपराधों के लिए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विचारण का सामना करने के लिए समनित किया गया है। याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा योजित पूरक आरोप-पत्र दिनांकित 15.05.2025 के भी अभिखंडन की मांग की है, जहाँ तक यह आवेदक से सम्बन्धित है।

3. संक्षेप में कथित, मामले के तथ्य ये हैं कि रिट याचिका सं0 11677 (एम0बी0)/2014, हरीश कुमार वर्मा, अधिवक्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारितआदेश दिनांकित 29.05.2017 की कार्यवाही में सी0बी0आई0 ने सचल पालना गृह योजना (मोबाइल क्रेच स्कीम) की संक्रिया में कारित अवैधानिकता और उसके द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (डी) के साथ पठित धारा 13(2) और धारा 120-बी, 409 एवं 420 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत कारित अपराधों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, लखनऊ के अज्ञात अधिकारियों, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, लखनऊ के अज्ञात अधिकारियों, अज्ञात गैर-सरकारी संगठनों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन धारित आर सी सं0 0062011A0014दिनांकित 21.06.2018 पंजीकृत किया।
4. अन्वेषण के बाद, सी0बी0आई0 ने आरंभतः26 अभियुक्त व्यक्तियों एवं 8 गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांकित 07.10.2022 प्रस्तुत किया परंतु आवेदक का नाम उक्त आरोप-पत्र में प्रकट नहीं हुआ। आवेदक को पूरक आरोप-पत्र दिनांकित 15.05.2025 में अभियुक्त बनायागया है।
5. अभियोजन मामले के अनुसार, सचल पालना गृह योजना के अन्तर्गत, सभी भाग लेने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सचल पालना केन्द्रों के क्रियान्वयन एवं संक्रिया के उद्देश्य के लिए छः माह की अवधि के लिए अनुदान संवितरित किए गए। प्रति पालना केन्द्र स्वीकृत अनुदान राशि छः माह की अवधि के लिए रुपये 1,60,455/- थी। आवेदक आठ पालना केन्द्र संचालित कर रहा था। योजना अगस्त, 2014 से प्रभावी रूप से समाप्त कर दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. योजना के अन्तर्गत, गैर-सरकारी संगठनों को क्रमशः रुपये 4000/- एवं रुपये 3000/- के मासिक वेतन पर एक पालना श्रमिक एवं एक पालना सहायक को नियोजित करने का अधिदेश दिया गया और उन्हें खाना पकाने और परोसने के बर्तनों सहित कुछ अनावर्ती वस्तुओं, शैक्षणिक सामग्री, खेलने की वस्तुएं, दरी, मेज, कुर्सी और अन्य अधोसंरचना का प्रबंध करना था, जिसके लिए प्रतिपालना केन्द्र रुपये 50000/- का एक मुश्त आवंटन स्वीकृत किया गया। केवल आरोप जो आवेदक के विरुद्ध अन्वेषण के दौरान स्थापित होना पाया गया है यह है कि आवेदक ने कर्मचारियों को कम वेतन का भुगतान किया था और कर्मचारियों ने वेतन प्राप्ति पंजीयन पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है।
7. आरोप-पत्र की वैधता पर प्रहार करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि 199 अन्य गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध समान आरोप लगाए गए हैं और अन्वेषण के दौरान उनमें से सभी दोषमुक्त कर दिए गए हैं। आगे के अन्वेषण के दौरान, 42 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों को भी दोषमुक्त कर दिया गया है। और आरोप-पत्र केवल 10 गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आवेदक का मामला 42 गैर-सरकारी संगठनों के मामलों के समान है, जिन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है
8. याचिका का विरोध करते हुए, सी0बी0आई0 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का मामला 42 अन्य गैर-सरकारी संगठनों के मामले के समान नहीं है, जिन्हें अन्वेषण अधिकारी द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। अन्वेषण ने प्रकट किया है कि आवेदक को जनपद कुशीनगर में आठ सचल पालना केन्द्र आवंटित किया गया आवेदक को रु0 12,83,560 का कुल अनुदान संवितरित किया गया। अन्वेषण के दौरान, भरवलिया और अहिरौली राय-1 पर दो केन्द्रों का क्षेत्र निरीक्षण किया। भरवलिया केन्द्र पालना श्रमिक श्रीमती नीलम देवी के आवास से संचालित किया जा रहा था। उसने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कहा कि उसने अधिदेशित वेतन की तुलना में कम वेतन प्राप्त किया और उसने वेतन पंजिका पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अहिरोली राय-1 केन्द्र पालना श्रमिक श्रीमती रिकू के आवास से संचालित किया जा रहा था। उसने कहा कि उसे छः माह की अवधि पर दो या तीन मौकों पर केवल रु0 1000/- का भुगतान किया गया और उसने भी वेतन पंजिका पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

9. अन्वेषण ने प्रकट किया है कि आवेदक, जो सामाजिक अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान, कुशीनगर का महासचिव था, ने पालना केन्द्रों के वास्तविक प्रकार्यों से संबंधित मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है और बेईमानीपूर्वक सरकारी निधियों का दुर्विनियोग किया है। पालना श्रमिकों ने स्पष्ट रूप से वेतन पंजिका पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सी0एफ0एस0एल0) की विशेषज्ञ राय ने इन खंडों का समर्थन करते हुए पुष्टि की है कि हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं। ये तथ्य स्पष्ट रूप से अधिकारिक अभिलेखों में जानबूझ कर किए गए हेर-फेर को स्थापित करते हैं; यह कृत्य सरकार को धोखा देने और सरकारी खजाने को दोषपूर्ण हानि कारित करने और अवैध, व्यक्तिगत और संस्थागत लाभ को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया है।

10. आवेदक के विरुद्ध अतिरिक्त आरोप-पत्र में किए गए कथनों को पढ़ने के बाद, मैं इस दृष्टिकोण का हूँ कि उपर्युक्त आरोप, प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध संज्ञेय अपराध किए जाने को स्थापित करते हैं और उसके विचारण के लिए एक मामला बनाते हैं।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आरोप-पत्र में उल्लिखित कुछ धाराएं सिद्ध नहीं होती हैं।

12. जब संज्ञेय अपराधों के कारित किए जाने के विचारण का मामला सिद्ध होता है, यदि कुछ धाराओं के अन्तर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता है, यह सदैव आवेदक के लिए विचारण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र दिए जाने हेतु खुला है और विचारण न्यायालय भी आरोप विरचित करते समय भी इस तथ्य का परीक्षण करेगा। उसके बाद भी, यह सदैव अभियुक्त के लिए आरोपों में परिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र योजित किए जाने के लिए खुला है। इसलिए, इस न्यायालय को इस आधार पर जाने की आवश्यकता नहीं है, जब यह न्यायालय इस दृष्टिकोण का है कि आवेदक के विचारण का मामला सिद्ध होता है।

13. पूर्वगामी चर्चा के दृष्टिगत, मैं प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में कोई बल नहीं पाता हूँ और इसे, तदनुसार, **खारिज़** किया जाता है।

मार्च 26, 2026

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

प्रीति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।